UPBN240000282024

Final Report/1/2024(Delivered on 29-06-2026)

Presented on : 04-01-2024
Registered on : 04-01-2024
Decided on : 29-06-2026
Duration : 2 years, 5 months, 25 days

न्यायालयःःन्यायिक मजिस्ट्रेट,सहसवान, जनपद-बदायूँ।

अंतिम आख्या संख्या-01/2024
अंतिम रिपोर्ट संख्या-31/2023
दुर्वेश कुमार बनाम अज्ञात
मु०अ०सं०-251/2023
धारा-279, 427 भारतीय दण्ड संहिता।
अंतर्गत क्षेत्र थाना-मुजरिया, जनपद-बदायूँ।

29.06.2026

1- पत्रावली पेश हुई। पुकार पर वादी मुदकमा उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा दुर्वेश कुमार की तहरीर के आधार पर थाना मुजरिया जिला बदायूँ में विपक्षी अज्ञात के विरूद्व मुकदमा अपराध संख्या-251/2023 अंतर्गत धारा-279, 427 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीकृत किया गया था।

2- तत्पश्चात विवेचक द्वारा प्रस्तुत मामले की विवेचना की गयी। विवेचना पश्चात संकलित साक्ष्य के आधार पर मामले में कोई अपराध कारित करना न पाते हुए मुकदमा न्यायालय में न चलाये जाने हेतु अन्तिम रिपोर्ट संख्या-31/2023 दिनांकित 24.09.2023 न्यायालय में प्रेषित की गयी।

3- उपरोक्त अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में दाखिल होने के पश्चात प्रस्तुत मामले पर वादी मुकदमा को सनवाई हेतु न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया। जिस पर वादी मुकदमा न्यायालय उपस्थित आया और उसकी ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह विवेचक द्वारा की गई विवेचना से पूर्णतः संतुष्ट है तथा अन्तिम रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः न्यायहित में अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है। **समर्थन में वादी मुकदमा की साक्ष्य सी०डब्ल्यू०-1 के रूप में अंकित की गयी है।**

4- चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वह उक्त अन्तिम आख्या को आगे चलाना नहीं चाहता है तथा अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या-251/2023 अन्तर्गत धारा-279, 427 भारतीय दण्ड संहिता थाना मुजरिया जिला बदायूँ में प्रेषित अन्तिम रिपोर्ट संख्या-31/2023 दिनांकित 24.09.2023 मय प्रश्नगत अन्तिम आख्या संख्या-01/2024 सहित स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(हरेन्द्र सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सहसवान, जनपद-बदायूँ।
J.O.Code.3676

Transcribed on :A.Ali.